निगरानी प्रकरण क्र. : ..../2013
प्रस्तुति दिनांक : ..../08/2013

(55)

श्रीमान सदस्य महोदय, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर मध्यप्रदेश के समक्ष

R-3439-II/13

1. हेमन्त पिता श्री बलदेवराज जुनेजा
निवासी-ए.डी.-393, स्कीम नम्बर 74-सी,
इन्दौर (म.प्र.)

2. प्रीतमसिंह पिता श्री करतारसिंह सलुजा
निवासी-50, प्रताप नगर,
इन्दौर (म.प्र.)

3. रघुवीरसिंह पिता श्री करतारसिंह सलुजा
निवासी-50, प्रताप नगर,
इन्दौर (म.प्र.)

........प्रार्थीगण

विरूद्ध

1. म.प्र. शासन तर्फे कलेक्टर, इन्दौर
जिला इन्दौर (म.प्र.), प्रशासनिक संकुल,
मोती तबेला, इन्दौर (म.प्र.)

2. तहसीलदार महोदय, इन्दौर
तहसील व जिला इन्दौर (म.प्र.)
प्रशासनिक संकुल, मोती तबेला,
इन्दौर (म.प्र.)

3. खेमचन्द पिता श्री ओंकार,
4. श्रीमती कस्तुरीबाई पति श्री रामकिशन
दोनो निवासी-ग्राम मुंडला दोस्तदार,
तहसील व जिला इन्दौर (म.प्र.)

.......प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भु-राजस्व संहिता 1959

श्रीमान कलेक्टर महोदय, जिला इन्दौर (श्री आकाश त्रिपाठी) के द्वारा प्रकरण क्रमांक 36/अ-74/2012-13 में दिनांक 21/06/2013 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर यह निगरानी निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत है।

।। प्रकरण के तथ्य ।।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम मुंडला दोस्तदार तहसील व जिला इन्दौर की विचाराधीन भूमियां प्रार्थी के पूर्व हितधारियों के नाम पर भूमि स्वामी स्वत्व पर राजस्व अभिलेखों में अंकित थी विषयांकित कृषि भूमियां राजस्व अभिलेखों में प्रार्थी के पूर्व हितधारियों के नाम पर अंकित होने के आधार पर प्रार्थी ने राजस्व अभिलेखों की प्रतियां प्राप्त कर उनका परीक्षण

अविरत..........2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3439-दो/13 जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23-1-2019	आवेदकगण की ओर से श्री योगेश वर्मा, अभिभाषक उपस्थित । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकगण द्वारा यह निगरानी कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है । अनावेदकगण को सूचना दिया जाये । अध्यक्ष	